संख्या-05/2026/39/एक-5-2026-51/2019

प्रेषक,

राजाराम द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 05 फरवरी, 2026**

विषय-जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों हेतु टाइप- 1, 2, 3 एवं टाइप-4 के आवासों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1916/12(भवन)/20/87-92, दिनांक 06.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों हेतु टाइप- 1, 2, 3 एवं टाइप-4 के आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1088.96 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा आंकलित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 435.58 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-1594/ एक-5-2019-51/2019 दिनांक 11.02.2020 द्वारा, शासनादेश संख्या-45/2020/1030/एक-5-2020-51/2019 दिनांक 29.12.2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 163.34 लाख, शासनादेश संख्या-68/2020/263/एक-5-2021-51/2019 दिनांक 24.03.2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 272.24 लाख एवं प्रश्नगत परियोजना की अनुमोदित लागत की 5 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए रू0 163.35 लाख शासनादेश संख्या-85/2021/495/एक-5-2021-51/2019 दिनांक 11.08.2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में स्वीकृत की गई है तथा प्रश्नगत परियोजना का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1368.39 लाख जी0एस0टी0 सहित पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-30/2024/1696/एक-5-2023-51/2019, दिनांक 29.03.2024 द्वारा प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत की 05 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 211.0105 लाख शासनादेश संख्या-31/2024/337/एक-5-2024-51/2019, दिनांक 29.03.2024 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना की कुल धनराशि रू0 1245.5205 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों हेतु टाइप-1, 2, 3 एवं टाइप-4 के आवासों के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित मूल स्वीकृत लागत रू0 1088.96 लाख की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 54.45 लाख एवं अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1368.39 लाख की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 68.4195 लाख अर्थात कुल रू0 122.8695 लाख **(रू0 एक करोड बाईस लाख छियासी हजार नौ सौ पचास मात्र) अन्तिम** किश्त के रूप में अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1594/ एक-5-2019-51/2019 दिनांक 11.02.2020 एवं संख्या-30/2024/1696/एक-5-2023-51/2019, दिनांक 29.03.2024 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- 4216- आवास पर पूजीगत परिव्यय-01- सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजाराम द्विवेदी
विशेष सचिव

संख्या-05/2026/39(1)/एक-5-2026-51/2019**::तददिनांक**।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, श्रावस्ती।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एवं कन्सलटेन्सी, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा।

8- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- राजस्व अनुभाग-6

10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।